an>

Title: Need to make provision for the administrative expenses incurred by the Government Co-operative Credit Institutions on account of payment made under MGNREGA scheme.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत **(जोधपुर) :**माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के अनेक प्रांतों में ग्रामीण सेवा सहकारी समितियां, रूरल क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। पंचायत के स्तर पर छोटी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी बनती हैं। राजस्थान में 39 लाख ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मनरेगा श्रमिकों का भुगतान करती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी योजनाएं, पीडीएस सिस्टम, लघु और सीमांत कृषकों को छोटा ऋण देने की सुविधा भी इन क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से दी जाती हैं। यूरिया, खाद, बीज का वितरण भी इन्हीं क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से होता है। क्रेडिट कोआपरेटव सोसाइटीज़ काम करती हैं, लेकिन सरकार इन सब कामों के प्रशासनिक व्यय का पुन वितरण नहीं करती है। वर्ष 2009 से लगातार राजस्थान सरकार मंत्रालय और सचिव स्तर पर प्रयास कर रही है। 2009 से 2014 के बीच अनेक बार मंत्री और सचिव स्तर पर इस बारे में पत्र व्यवहार हुआ है और बातचीत भी हुई है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सामान्य बजट का जवाब दें तब इस बात का समावेश करें कि ऐसी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा जितना पैसे का लेनदेन होता है, उसके एवज़ में कुछ निर्धारित प्रतिशत या कुछ फिक्स एमाउंट, रैंकरिंग एक्सपौंसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपौंसिस को पूरा करने के लिए दें।